UPJB010034372026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा

पीठासीन अधिकारी– विवेक, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{JOCODE–UP2012}

फौजदारी निगरानी संख्या–119/2026

1– श्रीमती किरन भटनागर आयु करीब 54 वर्ष पत्नी शोमेश कुमार भटनागर

2– शोमेश कुमार भटनागर आयु करीब 63 वर्ष पुत्र स्व 0 जयगोपाल भटनागर, निवासीगण मकान नम्बर–23 गुरू मंडल आश्रम देवपुरा, थाना कोतवाली सिटी, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।

.....**निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण।**

।। बनाम।।

1– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), जनपद अमरोहा

2– धर्मवीर सिंह आयु करीब 43 वर्ष पुत्र ताराचन्द, निवासी ग्राम मधुवा माफी, थाना नौगावां सादात, जिला अमरोहा।

.....**विपक्षीगण।**

निगरानीकर्तागण की ओर से– **श्री दानिश मलिक**, एडवोकेट

विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से– **श्री महावीर सिंह**, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

विपक्षी संख्या–2 की ओर से–**श्री मंगतराम सैनी**, एडवोकेट

निर्णय

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, निगरानीकर्तागण की ओर से सिविल जज (अवर खण्ड)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट/त्वरित न्यायालय प्रथम, अमरोहा द्वारा परिवाद संख्या–23615/2025 धर्मवीर बनाम किरन व अन्य, थाना अमरोहा देहात, जिला अमरोहा के मामले में पारित आक्षेपित तलबी आदेश दिनांकित 04.05.2026 से व्यथित होकर संस्थित की गयी है।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक धर्मवीर सिंह द्वारा न्यायालय में धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रार्थनापत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि उसकी किरन भटनागर व शोमेश कुमार भटनागर से जान पहचान थी। मुल्जिमान के पुत्र शिवाँजल भटनागर के नाम सन इण्डिया फर्म रजिस्टर है तथा माँ गंगा म्युजियम, गंगा सवेरा स्टे एवं कैफे स्थित मौहल्ला ललतारापुल गडडा पार्किंग, हरिद्वार में गेस्ट हाउस चलाते हैं। माह अगस्त 2024 को उक्त किरन भटनागर व उसके पति शोमेश कुमार भटनागर अमरोहा में कालीन खरीदने आये थे, तभी दोनों मुल्जिमान उसके ऑफिस मंगलम प्रिन्टिंग प्रेस स्थित मौहल्ला रफातपुरा गुलड़िया रोड, थाना अमरोहा देहात, जिला अमरोहा पर आये तथा उन्होंने अपना गेस्ट हाउस प्रार्थी को दो लाख रूपये प्रतिमाह किराये पर देने का प्रस्ताव रखा तथा उस समय प्रार्थी का मित्र विवेक कुमार भी मौजूद था। प्रार्थी ने मुल्जिमान की बातों पर विश्वास कर अपने मित्र विवेक कुमार के साथ मुल्जिमान के गेस्टहाउस को देखा तथा घर आकर अपने मोबाईल नम्बर 9690638847 व 9675040047 से मुल्जिमा किरन भटनागर के मोबाईल नम्बर 9359848902 के गूगल–पे

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.07.17 15:20:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पर दिनांक 16.08.2024 को 50,000/–रुपये, दिनांक 25.08.2024 को दो बार में 50,000–50,000/–रुपये, दिनांक 26.08.2024 को दो बार में 50,000– 50,000/– रुपये, दिनांक 29.08.2025 को 50,000/–रुपये, दिनांक 01.09.2024 को 37,800/–रुपये, दिनांक 09.09.2024 को 1,00,000/–रूपये कुल 4,37,800/–रुपये ट्रांसफर किये तथा 62,000/–रुपये नकद दिये तथा 2,00,000/–रुपये नकद गेस्टहाउस के क्रॉकरी आदि खरीदने के लिए दिये। इस प्रकार मुल्जिमान पर प्रार्थी के 7,00,000/–रुपये पहुंच गये। उपरोक्त देनदारी विवेक कुमार व नन्दकिशोर के सामने हुई। प्रार्थी जब मुल्जिमान के पास गेस्टहाउस संचालन कराने के लिए गया, तो मुल्जिमान ने बहाना बनाकर टाल दिया व गेस्ट संचालन नहीं करने दिया। प्रार्थी ने जब अपनी धनराशि वापस मांगी , तो मुल्जिमान ने उक्त धनराशि वापस करने से मना कर दिया तथा जोर जबरदस्ती करने पर जान से मारने की धमकी दी। उपरोक्त मुल्जिमान ने प्रार्थी के साथ विश्वासघात करके उसकी धनराशि हड़प ली है। उपरोक्त आधारों पर थानाध्यक्ष, अमरोहा देहात को प्रार्थी की एफ.आई.आर. दर्ज कर विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

3– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को परिवाद के रूप में दर्ज कर परिवादी धर्मवीर सिंह के धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत कथन अंकित किये गये तथा धारा 225 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत साक्षीगण विवेक कुमार व नन्द किशोर के कथन अंकित किये गये। परिवादपत्र, परिवादी व साक्षीगण का साक्ष्य व अन्य प्रलेखों के परिशीलन के उपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 04.05.2026 के द्वारा निगरानीकर्ता/अभियुक्तगण किरन भटनागर व शोमेश भटनागर को धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया है।

4– निगरानीकर्ता/अभियुक्तगण द्वारा निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 04.05.2026 विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध है, जिसे पारित करते समय पत्रावली का भली–भांति परिशीलन नहीं किया गया है तथा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये सरसरी तौर पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। विपक्षी सं0–2 द्वारा स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है और नफा नाजायज प्राप्त करने के आशय से सम्बन्धित परिवाद झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। परिवादी ने एक नोटिस दिनांक 25.11.2024 को उन्हें पंजीकृत डाक से प्रेषित किया था, जिसका जबाव उन्होंने दिनांक 02.12.2024 को प्रेषित करा दिया था, जिसमें कथित धनराशि गेस्ट हाउस किराये पर देने व रूपये प्राप्त करने से इंकार किया है। उनके पुत्र शिवांजल भटनागर द्वारा बताया गया कि धर्मवीर सिंह व विवेक कुमार नामक व्यक्ति उनके घर स्थित प्रतिष्ठान किरन आर्टस पर आते थे तथा उनसे कुछ सामान जैसे जूट बैग, धूपको आदि खरीकर ले गये तथा उनका भुगतान गूगल पे पर किया गया। बदनियती से एक बार धर्मवीर सिंह ने निगरानीकर्ता सं0–2 के खाते में पचास हजार रूपये अपने साथी विवेक से स्टांसफर करा दिये , जिनका पता चलने पर निगरानीकर्ता संख्या–2 ने उन्हें वापस कर दिया। धर्मवीर सिंह ने कोतवाली हरिद्वार, पुलिस चौकी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार के यहाँ झूठी कहानी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया और पुलिस जांच में धर्मवीर सिंह की शिकायत झूठी पायी गयी और कोई कार्यवाही नहीं हुई। परिवादी धर्मवीर सिंह ने झूठी कहानी के आधार पर निगरानीकर्ती संख्या–1 को ब्लैकमेल करने की गरज से निगरानीकर्ता सं0–2 को शामिल करते हुये व अपने साथी विवेक कुमार को इस मामले में गवाह बनाते हुये व बातचीत अमरोहा में होना कहते हुये परिवाद प्रस्तुत किया, जबकि हरिद्वार में भिजवाये गये नोटिस में विवेक कुमार को उक्त कहानी में साझीदार कहा है। उकत कहानी के सम्बन्ध में अमरोहा में योजित परिवाद की कार्यवाही, हरिद्वार कोतवाली, चौकी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार के यहां की गयी कार्यवाही के विपरीत है। निगरानीकर्ता संख्या–1 का कोई सम्बन्ध या वास्ता कथित गेस्ट हाउस से नहीं है, जबकि निगरानीकर्ता संख्या–1 का कारोबार

किरन आर्टस के नाम से होता है, जिसके सामान खरीद के बिल परिवादी धर्मवीर सिंह के पास हैं। निगरानीकर्ता संख्या–1 ने उक्त धनराशि व्यापारिक लेनदेन के सम्बन्ध में प्राप्त की है , जिसके ऐवज में सामान परिवादी धर्मवीर सिंह को दिया है। उपरोक्त आधारों पर निगरानी स्वीकार करते हुये आक्षेपित आदेश दिनांकित 04.05.2026 को अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– निगरानीकर्ता/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व विपक्षी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

6– निगरानीकर्ता/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया है कि उनके नाम कोई गेस्टहाउस नहीं है। वर्तमान प्रकरण में मात्र व्यापारिक लेनदेन का मामला है। परिवादी द्वारा जो पैसा दिया गया है, उसके बदले में उसको सामान दिया गया था। घटना का क्षेत्राधिकार हरिद्वार पुलिस को है। परिवादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। निगरानीकर्तागण द्वारा परिवादी के नोटिस पर अपना जबाव प्रेषित कर दिया गया था। परिवादी द्वारा भेजे गये नोटिस में विवेक कुमार को साझीदार बताया गया है, जबकि अमरोहा की घटना में विवेक कुमार को गवाह होना दर्शाया गया है। उपरोक्त आधारों पर निगरानी को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

7– विपक्षीगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि गेस्टहाउस चलाने की बातचीत अमरोहा में हुई थी , इसलिए मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अमरोहा पुलिस को है। निगरानीकर्ता/अभियुक्तगण श्रीमती किरन भटनागर व शोमेश कुमार भटनागर के खातों में रूपये ऑन लाईन स्थानांतरित किये गये व कुछ धनराशि नकद भी दी गयी है। परिवादी व गवाहान विवेक कुमार व नन्द किशोर ने अपने कथनों में घटना का पूर्ण समर्थन किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त आधारों पर फौजदारी निगरानी निरस्त की याचना की गयी है।

8– विधि व्यवस्था **सावित्री देवी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य 2014 (84) ए0सी0सी0 81** में **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद** द्वारा यह अवधारित किया गया है कि–

> "10– In constricted revisional jurisdiction, finding of the lower court cannot be analysed threadware. Besides they are not liable to be upset unless they are perverse, based upon misreading of evidence, or suffer from any other legal inhibitions."

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में पुनः मूल्यांकन करना नहीं आता है, जब तक विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष अवैध ना हो।

9– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **M/s. Pepsi Food Ltd. & another vs. Special Judicial Magistrate & others, 1998 UPCrR 118** में यह अवधारित किया गया है कि–

> " Summoning of an accused in a criminal case is a serious matter. Criminal Law can not be set into motion as a matter of course. It is not that the complainant has to bring only two witnesses to support his allegations in the complaint to have the criminal law set into motion. The order of the Magistrate summoning the accused must

> reflect that he applied his mind to the facts of the case and the law applicable thereto. He has to examine the nature of allegations made in the complaint and the evidence both oral and documentary in support thereof and would that be sufficient for the complainant to succeed in bringing charge home to the accused....."

उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक मामले में अभियुक्त को तलब किया जाना एक गंभीर मामला है। ऐसा नहीं है कि परिवादी मात्र दो गवाह परिवादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत करके आपराधिक विधि को गतिमान कर ले। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तलबी आदेश से यह दर्शित होना चाहिए कि उसके द्वारा मामले के तथ्यों तथा सम्बन्धित विधि एवं न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है।

10– विचारण न्यायालय की पत्रावली के सम्यक परिशीलन से यह दर्शित होता है कि विपक्षी संख्या–2/परिवादी धर्मवीर ने अपने धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत किये गये कथन में कहा है कि वह अपने साथी विवेक कुमार के साथ काम करता है। जब ये दोनों (निगरानीकर्तागण) उसकी प्रीटिंग प्रेस पर आये, तब वह, विवेक व उसका स्टाफ नन्द किशोर भी वहीं थे, जबकि गवाह विवेक कुमार के धारा 225 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में उसका पेशा मजदूरी अंकित है तथा उसने कथन किया है कि माह अगस्त, 2024 को वह धर्मवीर के ऑफिस पर गया था, उस दिन किरन भटनागर व उसके पति सोमेश भटनागर हरिद्वार के रहने वाले हैं, ऑफिस पर पहले से बैठे थे।

इस प्रकार विपक्षी संख्या–2 धर्मवीर व गवाह विवेक कुमार के बयानों में विरोधाभास है, क्योंकि विपक्षी संख्या–2 धर्मवीर, गवाह विवेक को निगरानीकर्तागण के आने के पहले से ऑफिस में बैठे होना कहता है, जबकि विवेक कुमार, निगरानीकर्तागण को अपने आने से पहले से बैठे होना कहता है तथा अगस्त, 2024 की कोई विशिष्ट दिनांक भी नहीं बतायी है।

11– विपक्षी संख्या–2 धर्मवीर ने अपने कथनों में यह भी कहा है कि उसका स्टाफ नन्द किशोर भी वहीं था, जबकि सी.डब्ल्यू.3 नन्द किशोर ने अपने कथन अंतर्गत धारा 225 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कथन किया है कि अगस्त, 2024 में वह कार्ड छपवाने धर्मवीर सिंह के ऑफिस गया था।

सी.डब्ल्यू.3 नन्द किशोर के कथन के अनुसार जब वह अगस्त, 2024 में धर्मवीर के ऑफिस में गया था, तब वहाँ बातचीत के दौरान बासठ हजार दो सौ रूपये व दो लाख रूपये धर्मवीर ने किरन व शोमेश को दिये गये थे तथा धर्मवीर ने किरन व शोमेश से कहा कि अब तक तुम्हारे पास सात लाख रूपये पहुंच गये हैं, जबकि परिवादपत्र के अनुसार परिवादी धर्मवीर द्वारा दिनांक 16.08.2024 से दिनांक 09.09.2024 तक कुल चार लाख सैंतीस हजार रूपये ट्रांसफर किया जाना अंकित किया गया है।

12– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 04.05.2026 के सम्यक परिशीलन से यह दर्शित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर सम्यक विचार नहीं किया गया है तथा मात्र सरसरी आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में विधिक त्रुटि व अनियमितता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 04.05.2026 स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा अपास्त होने योग्य है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी संख्या–119/2026 श्रीमती किरन भटनागर व एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 04.05.2026 अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को यह निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय में दिये गये सम्प्रेक्षण को दृष्टिगत रखते हुये पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करे।

उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2026 को उपस्थित हो। निर्णय की प्रति तलबशुदा पत्रावली सहित विचारण न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाये।

दिनांक–17.07.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक– 17.07.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ताः आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक